


फर्द अहकाम

(नियम 26)



आज दिनांक तहसीलदार/जायब तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर मुकाम श्री विजयनगर
सरकार बनाम शरतेज सिंह 510 राम सिंह जट शिव 13BLM B

किस्त मुकदमा राज. उप. अधि. 1954 की धारा के अन्तर्गत

सं. 71

सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशयंलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम व हुकम की तामिल में जारी हुए।
01/2018	<p>पटवारी हल्का <u>12 BLM A</u> ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि चक नं. <u>12 BLM B</u> के मुरब्बा नं. $\frac{215}{419}$ के <u>0.253</u> बीघा, भूमि रकबा राज है जिस पर श्री <u>शरतेज सिंह</u> पुत्र श्री <u>राम सिंह</u> जाति <u>जट शिव</u> सा <u>13BLM B</u> ने अतिक्रमण कर सम्बत् <u>2074</u> फसल <u>रबी</u> नाजायज काश्त कर रखी है, जिसके विरुद्ध राजस्थान उप निवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। मौके पर खड़ी फसल को कुर्क करने हेतु गिरदावर हल्का को कुर्की के आदेश दिये जावें।</p> <p>पत्रावली दिनांक <u>20/2/2018</u> को पेश है।</p>	<p>नोटिस क्रमांक 101 <u>25/1/18</u> कुर्की आदेश क्रमांक 102 <u>25/1/18</u></p>
20-2-18	<p>पत्रावली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर शास्ति अधिरोपित की गई निर्णय पृथक से लिखवाया गया।</p>	

3/5/18

पञ्चावली प्रस्तुत हुई १५२ १२ १८५११४ द्वारा

मिथाम् प्रकृत की बडी सर्वाधिक गोपीधाम

पर्वकृष्णानि ९१० रामस्वरूप माती कुम्हार की १००५

रूपये की रश्मी इतल गोपी त्वीमा की बडी १५२

इतलमिथाम् इतली लक्ष्मि यथागत रु ९५ कि ३१५१४

इतल शालकोष से लमा कला सीबड ईग की शालि

मिथल से ल मज देखे ल की की लोचि पत्नी

इतल इतल इतलमिथाम् की बेदेवल कल कल

बेदेक लडमा इतल कल लोचि मज से पञ्चावली से

बेदेक कार्मिबडी इतल इतल रश्मी से पञ्चावली के लोचि

इतल इतल इतल कल इतल

परजिस्टर की पुक सं. ५५ क्र. सं. ०२

दिनांक १६-५-१८ राशि १००- सर्वा विधा।

३

(2)

पालय तहसीलदार (राजख) श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर

पत्र सं० 11/18 वर्ष 2018

स्थान सरकार बगाम शुभलक्षित (राजख) अतिरिक्त अतिरिक्त निर्णय दिनांक 13/08/2018

कारण दिनांक 25-1-18 निर्णय दिनांक 20-2-18

स्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत

रीख क्रम	हुकम या कार्यावाही का इतिशियल्स जज	पत्र क्रमांक दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
-------------	------------------------------------	---

2-18 पत्रावाली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अफिस कानूनगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को तामिल हो चुकी है। अफिस कानूनगो ने बताया जमाबन्दी सम्बत् 2074 स्क्री में भूमि रकबा राज दर्ज है।

अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का
1881m. का प्रतिवेदन दिनांक 25-1-18 को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी पत्र
जाति अतिरिक्त निवासी 1381m. को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत चक 1281m मु.नं. 215/149 कुल 253 है 0 सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के काश्त करने पर अतिकर्मी घोषित करते हुए काश्तशुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू 0 राजस्व की दर का 10 गुणा राशि 20 शास्ति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू 0 अधि 0 1881m. को नियुक्त किया जाता है कि अतिकर्मी को बेदखल कर फसल निलाम करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे। निर्णय आज दिनांक 20-2-18 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार (राजख)
श्री विजयनगर

'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं. 45 की क्रम सं.
09 दिनांक 12-3-18 को 20-
दर्ज किया गया।

ता 07/10/20